तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व ता जो इस तारीख
13/3/25	मिसल वास्ते आदेश पेश हुई। आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी ख.नं. 328 रकबा 1.01 हे. 72 में 1/2 हि. की उद्घोषक अपने पति व अपनी नं.3 मोहम्मद के नाम करवाने का दावा पेश किया गया है तथा प्रार्थी को अपनी कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने की इस्तदुआ चाही है। वादी का मतन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे विपक्षी 2055-58 ग्राम लक्ष्मीपुरा ने ख.नं. 403 रकबा 1.01 हे. की खातेदारी मालूकात पुत्र लादूराम कौम स्वामी के बेचान से अ.क्र. 42 ता 15/7/91 से मालूकात के स्थान पर नारायण नाम की खातेदार कोर्ड GC हि. 1/2 का नाम दर्ज हुआ है जबकि नारायण नाम को पत्रावली पर कुछ नहीं बताया गया है तथा पत्रावली पर कुछ प्रकाश कब्जिज काश्तकार है प्रार्थी ने अपने आवेदन प्रकरण में अंकित नहीं किया है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा GC खातेदारी व कब्जे का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपूरणीय क्षति प्रार्थी को किस प्रकार से हो रही है साबित नहीं हो रहा है, प्रार्थी का आवेदन एकतरफा सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फोरन शुमार होकर मूल खाता के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]गढ़